राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(1)गृह–1/2026 (18780)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित तिथि

–: आज्ञा :–

राजस्थान राज्य एवम् अधीनरथ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 25 व 30 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिये रिपोर्ट करने की तिथि दिनांक 23.03.2026 प्रातः 09.30 बजे अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी:–

SNO	MERIT NO	RNO	NAME	CATEGORY	BIRTH DATE
1.	34	1102420	PAYAL DADHICH	GE,WE	20-12-1998
2.	44	1100033	SANJAY DUKIYA	BC	24-05-1997
3.	46	1101885	KAILASH RANWA	BC	08-01-1998
4.	47	1100012	RAJESH JAT	BC,ME,RG	11-08-1999
5.	50	1117610	RAVINDRA SINGH	BC,NG,RG	17-09-1996
6.	52	1102387	KRISHNA TANDI	BC,WE	17-12-2000
7.	54	1100298	MUKESH YADAV	BC,RG	01-07-1992
8.	55	1101358	GHEWAR RAM BHARNANGA	BC	16-04-1993
9.	57	1117787	DINESH VISHNOI	BC,RG	14-01-2000
10.	58	1105120	PANKAJ YADAV	BC	10-08-1996
11.	59	1118216	AJIT SINGH CHOUDHARY	BC	15-02-2000
12.	60	1100668	KARNI SINGH	BC	29-04-2002
13.	62	1106278	AMAR SINGH RATHORE	GE	26-01-1991
14.	63	1103747	DINESH KUMAR	BC,RG	10-08-1997
15.	66	1117594	PARAMVEER SINGH	GE	22-08-2001
16.	67	1115534	MUKESH DAN CHARN	BC,RG	15-10-2000
17.	68	1103301	SOMDUTT SWAMI	BC,NG,RG	20-07-1978
18.	69	1103906	JITENDRA GOYAL	EWS	16-11-1996
19.	70	1100433	KISMAT BANO	BC,WE	20-11-1997
20.	71	1100941	SUNIL MUNDEL	BC	29-10-1995
21.	73	1105047	PRAJWAL BISHNOI	BC	15-11-2000
22.	77	1100189	RAJNISH KALAL	BC	15-07-1994
23.	78	1100547	AJAY RAJ SINGH	EWS	28-08-1995
24.	83	1102512	MADHU SONI	BC,WE	02-10-1999
25.	84	1101826	VINAY MOHAN	BC	01-07-1994
26.	85	1112340	DEEPAK THOLIA	BC	24-10-1997
27.	89	1100051	PREETHI SAHU	BC,WE,DV	18-07-1991
28.	91	1107802	VIKASH YADAV	BC,RG	01-11-1997
29.	110	1101702	MUKUT GURJAR	MB	23-07-2001
30.	111	1116413	SOHAN LAL RAJPUROHIT	EWS	21-03-1994
31.	123	1115807	AJAYPAL SINGH BHATI	EWS,RG	21-08-1993
32.	126	1101141	JITENDRA KUMAR GURJAR	MB,ME,RG	01-01-2001
33.	127	1110753	VAISHALI DHAKAD	BC,WE,RG	21-07-1995
34.	137	1103984	SATISH SHARMA	GE,NG,RG	24-06-1989
35.	140	1106871	VIPIN GAUTAM	EWS,NG,RG	01-07-1991
36.	144	1107473	SURBHI DHIDHARIA	BC,WE	06-01-1996

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

Signature valid

Digitally signed by Maneesh Goyal
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2026.03.20 16:16:09 IST
Reason: Approved

D\ JHALA\Mislenious/Latter

RajKaj Ref No.: 21173700
eSign 1.0

Scanned with CamScanner

37.	237	1103653	RAJ KUMAR MEENA	ST	15-10-1993
38.	244	1108145	SHUBHAM SINGH SISODIYA	GE,EX	04-06-1996
39.	257	1106423	RAHUL MEENA	ST	15-07-2001
40.	306	1100313	MANISH KUMAR MEENA	ST	14-12-2001
41.	307	1106572	PRIYANKA MEENA	ST,WE,RG	15-05-1991
42.	318	1106981	RAMESHWAR MEENA	ST,RG	01-06-1993
43.	330	1101318	SAPNA MEENA	ST,WE	04-03-1996
44.	382	1101169	RAMKESH MEENA	ST	29-09-1989
45.	395	1107853	ANKIT KUMAR MEENA	ST	07-09-1997
46.	414	1103889	ATAL AVINASH BAIRWA	SC,RG	05-07-2001
47.	428	1100935	SUMAN GURJAR	MB,WE	27-04-2002
48.	487	1109025	ASHISH SUDHAKAR	SC	15-07-1999
49.	504	1108463	KHEM CHAND MEENA	ST	14-11-1991
50.	516	1100986	JITENDRA KUMAR CHOMIYA	SC	24-11-2002
51.	543	1100211	SAPNA MOURYA	SC,WE,ME,RG	29-12-1995
52.	586	1112221	CHETNA KUMARI BAIRWA	SC,WE	27-08-2002
53.	661	1104337	KARISHMA KALA	SC,WE	04-12-1996
54.	697	1100037	KARTIK GUDESHWAR	SC	08-02-1998
55.	810	1107555	SANDEEP KUMAR MUNDOTIYA	SC,RG	01-10-1984
56.	837	1106901	AKASH	SC	05-09-2001
57.	1773	1105747	MS. KRISHNA KANWAR	GE,WE,WD	05-12-1989
58.	1798	1119338	ANJALI MEENA	ST,WE,WD,RG	22-03-1994
59.	1882	1100090	SARITA MAHIYA	BC,WE,WD,RG	23-12-1996
60.	1976	1105783	PRIYANKA SHARMA	EWS,WE,WD	20-04-1993

1. उक्त नियुक्ति आज्ञा एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5847/2025, 9210/2025, 9092/2025, 9253/2025, 9338/2025, 9595/2025, 3318/2025, 7475/2025, 15003/2025, 15372/2025, 15660/2025, 4167/2026 एवं उक्त परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।
3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांकः प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Sehedule IV Rules no.16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्तियां सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
5. गर्भवती महिलाओ के लिए कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र कमांक प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
6. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
7. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉं राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
8. उक्त नियुक्तियॉं सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।
9. उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
10. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Goyal
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2026.03.2[illegible] [illegible]6:16:09 IST
Reason: Approved

D\JHALA\Mislenious/Latter

RajKaj Ref No.: 21173700

eSign 1.0

Scanned with CamScanner

नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुणा राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुणा राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।

12. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

13. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 09:30 (कमरा नं. 7217, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर) में उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

14. अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 09:30 तक अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित निम्नलिखित सामग्री के साथ हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगेः–
    1. प्रशिक्षण सत्रों हेतु औपचारिक वेशभूषा– पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के लिए ग्रे पेंट और व्हाईट शर्ट एवं महिला प्रशिणार्थियों के लिए हल्के रंग की साडी।
    2. पासपोर्ट साईज फोटो की 03 फोटो 03 स्टाम्प साईज फोटो 03 प्रतियां।
    3. विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र (यदि विवाहित है)
    4. बैंक अकाउन्ट का विवरण (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति स्वप्रमाणित, एक कैंसिल चैक)।
    5. पैंन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
    6. जन–आधार कार्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
    7. कक्षा 10 की अंकतालिका प्रमाण–पत्र।

15. अभ्यर्थियों के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा 23.03.2026 को अपरान्ह पश्चात से उपलब्ध होगी।

16. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।

17. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

18. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी (परिशिष्ट 'ब')।

19. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है। परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा (परिशिष्ट 'ब')।

20. कोई अभ्यर्थी राजकीय/केन्द्रीय/निगम/बोर्ड/स्वायतशासी संस्थान में नियोजित है, तो वहां से कार्यमुक्त होकर कार्य मुक्ति आदेश तथा उस विभाग की विभागीय जांच नहीं होने/होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें।

21. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक 7(13)कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (परिशिष्ट 'ब')

22. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

23. उक्त नियुक्ति राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के अध्यधीन रहेगी।

24. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटोयुक्त पहचान पत्र के स्थान पर उपस्थित होवें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस
0141–2385838

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@raj...

Signature valid
Digitally signed by Maneesh Goyal
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2026.03.2... 6:16:09 IST
Reason: Approved

D\ JHALA\Mislenious/Latter

RajKaj Ref No.: 21173700
eSign 1.0

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिवगण।
6. अतिरिक्त महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 11 में उल्लेखित "बन्ध पत्र" व इस विभाग द्वारा जारी मूल दस्तावेज मिलान प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें। साथ ही राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के आधारभूत/संस्थागत प्रशिक्षण के संबंध में नोडल अधिकारी श्री रत्नेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ शासन उप सचिव (मो. 9887127580) गृह (ग्रुप–1) से समन्वय करने का श्रम करें।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
14. संबंधित अधिकारीगण ।
15. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग – उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

D\ JHALA\Mislenious/Latter

RajKaj Ref No.:
21173700
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mabeesh Goyal
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2026.03.20 16:16:09 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–'ब'

परिशिष्ट–'अ'

वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटो

सेवामें,

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
गृह (ग्रुप–1) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :–आरपीएस प्रशिक्षु बैच–2026 में प्रशिक्षण पर उपस्थिति पर व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी का चयन राजस्थान पुलिस सेवा संवर्ग में होने के फलस्वरूप आज दिनांक...................... को प्रातः/दोपहर/शाम .... बजे हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति प्रस्तुत कर आदिनांक की स्थिति में प्रार्थी की व्यक्तिगत सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

क्रम सं0	चाही गई सूचना	विवरण
1	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्मतिथि	
4	दूरभाष नं0	
5	ई–मेल आई.डी.	
6	स्थाई पता	
7	वर्तमान पता	
8	मूल निवास स्थान (मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर)	
9	मोबाईल नं0	
10	आपातकालीन मोबाईल नं0	
11	सन्तानों की सूचना का विवरण	
12	अन्तिम शैक्षणिक योग्यता	
13	पूर्व में राज्य सेवा में होने की स्थिति में प्रथम नियुक्ति दिनांक	
14	विवाहित अथवा अविवाहित	
15	वर्तमान स्थिति में विभागीय जांच/ एफआईआर/न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में सूचना का पूर्ण विवरण	

हस्ताक्षर मय दिनांक

Signature valid
Digitally signed by Ratnesh Kumar Sharma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2026.03.20 1?:29:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21181292

Scanned with CamScanner

(रू. 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें)

एकल शपथ–पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री ....

निवासी..

रोल नं0...................... राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पद पर अभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

1. मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 की पूर्ण प्रक्रिया में एवं अभिस्तावित पद हेतु निर्धारित मानदंडों के अन्तगर्त आवश्यक प्रमाण पत्रों के निर्माण हेतु स्वयं उपस्थित रहा/रही हूँ। मेरे द्वारा, मेरे स्थान पर उक्त भर्ती परीक्षा में किसी भी स्तर पर डमी अभ्यर्थी नहीं बिठाया गया/गयी है।
2. मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह दिनांक ....को हुआ। विवाह के समय मै या मेरे घरवालों द्वारा न तो दहेज लिया है। न ही दहेज दिया गया है।

अथवा

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह/पुर्नविवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या घरवाले ना तो दहेज लेंगे/ना ही दहेज देंगे तथा भविष्य में विवाह होने पर 01 माह में विभाग को अवगत करवाते हुये दहेज नहीं लेने/देने के संबंध में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दुंगा/दुंगी।

3. मै शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या................थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		

दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्वि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या.................है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		

4. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विभाग में जो शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किये है वह बिल्कुल सही एवं सत्य है।
5. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं मेरे विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने में कोई आपराधिक वाद/मुकदमा दर्ज नहीं है, जिसके प्रमाण स्वरूप मैंने पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है यदि इसके बावजूद भी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में आता है, तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए मैं प्रार्थी पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
6. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मैं उक्त पद हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति देता/देती हूं।
7. मैं वचनबद्व हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखे का सेवन नहीं करता/करती हूँ।
8. मैं शपथ पूर्वक शपथ लेता/लेती हूँ एवं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी तथा अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता/करती हूं कि उक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 8 सही व सत्य है। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया हैं। ईश्वर साक्षी है।

Signature valid

Digitally signed by Ratnesh Kumar Sharma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2026.03.20 1[illegible]:29:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21181292

Scanned with CamScanner

राजस्थान पुलिस सेवा के बैच–2026 के कार्यग्रहण व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी

01. श्री मुकेश पाराशर, सहायक शासन सचिव (मो0 नं0 9829062668)

02. श्री योगेश चौधरी, अनुभागाधिकारी (मो0 नं0 9694054540)

RajKaj Ref No.:
21181292

Signature valid

Digitally signed by Ratnesh Kumar Sharma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2026.03.20 1[illegible]:29:09 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner